राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमाकः 1 (16)ग्रावि / नरेगा / IPPE / 2014–15 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
डूंगरपुर, बांसवाडा, टोंक, झालावाड, अजमेर,
उदयपुर, कोटा, चुरू, जालौर, जैसलमेर,
जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ, बारां,
बाडमेर, भीलवाडा, राजसमंद, सवाई माधोपुर,
सिरोही, करौली एव चित्तौडगढ राजस्थान।

विषय :– आईपीपीई–।। अन्तर्गत कन्वर्जेन्ट प्लानिंग हेतु ब्लॉक प्लानिंग टीम के सदस्यों के लिए सहायक सामग्री ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ब्लॉक प्लानिंग टीम सदस्यों को सर्वे कार्य में सहायता हेतु आवश्यक जानकारी संकलित कर सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

5/10/15

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
4. परियोजना निदेशक डम् – स्ए राजीविका, उद्योग भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा / डीपीएम, राजीविका (आईपीपीई–।। में चयनित जिलें)
6. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी / डीपनिंग मैनेजर, राजीविका (आईपीपीई–।। में चयनित पंचायत समिति)
7. रक्षित पत्रावली।

05/10/15

परि0 निदे एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्लानिंग टीम के सदस्यों के लिए सहायक सामग्री
सघन सहभागी प्लानिंग अभ्यास –2

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

अनुसूची

कम संख्या	मुख्य विषय	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	3
2.	प्लानिंग किट	5
3.	प्लानिंग पूर्व प्रकियायें	6
4.	गांवों में प्लानिंग प्रकिया	8
5.	गांव में प्लानिंग गतिविधियों के लिए सरलीकरण नोट	11
6.	प्लानिंग पश्चात प्रस्ताव पास करने के लिए ग्राम सभा आयोजन	20
7.	ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति समझ	22
8.	महात्मागांधी नरेगा के तहत विभिन्न संरचनात्मक कार्यों की स्वीकृति	24

1.परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक बजट निर्माण की प्रक्रिया सघन सहभागी प्लानिंग अभ्यास के द्वारा 2500 पिछड़े ब्लॉकों (विकास खंडों में की गई)। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय सहभागी प्लानिंग द्वारा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक साथ सम्मिलित रूप से लाने का प्रयास कर रहा है जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY), राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग (छै।च) कार्यक्रम और इंदिरा आवास योजना (IAY) को सम्मिलित किया जायेगा।

- इस वर्ष समेकित प्लानिंग अभ्यास के तहत सुनिश्चित किया जायेगा कि महात्मागांधी कार्य योजना बनाने में समुदाय विशेषकर महिलाओं और निःसहाय परिवारों की भागीदारी अधिकतम हो, उन्हीं के सहयोग से योजना बनाई जाए ताकि प्राकृतिक संसाधन आधारित उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके और सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा प्राथमिकीकृत सूची कार्यों को ही ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित किया जाए।
- प्लानिंग प्रक्रिया के समेकन के तहत मंत्रालय का लक्ष्य है कि राज्य का एक ग्रामीण विकास प्लानिंग बने। जिसके तहत निम्नलिखित चीजों को समावेषित किया जायेगा।
- प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका आधारित गांवों के लिए एक व्यापक आजीविका योजना
- निःसहाय परिवारों की मांग के आधार पर महात्मागांधी नरेगा श्रमिक बजट
- दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत ऐसे योग्य लोगों का क्षमतावर्द्धन जो अपनी क्षमता बढ़ाना चाहें
- अतिवंचित परिवारों के लिए परिवार वार आजीविका प्लानिंग तथा उनको एन आर एल एम के तहत लिया जाना। इन घरों की पहचान करने के लिए सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत सूचकांक सूची को आधार माना जाएगा।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग (NSAP) कार्यक्रम और इंदिरा आवास योजना (IAY) के लिए वंचितों लेकिन योग्य लाभार्थियों की सूची बनाई जायेगी।
- सघन सहभागी प्लानिंग अभ्यास –2 के तहत ब्लॉक प्लानिंग टीम के 3 सदस्य होंगे जिन्हें संबंधित ग्राम रोजगार सेवक और वार्ड सदस्यों के साथ एक गांव या ढाणी जिसका औसत साइज 100 परिवार हो सकता है, का प्लानिंग किया जायेगा जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) सघन ब्लॉक में इस प्रक्रिया में 4 दिन लग सकते हैं।

इस पुस्तिका के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बी पी टी की मदद करना है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। यह पुस्तिका 5 भागों में विभाजित है। पुस्तिका के पहले भाग में महात्मागांधी नरेगा किट के तहत उपलब्ध सामग्री पर चर्चा की गई है जो कि बीपीटी सदस्यों के पास उपलब्ध रहनी चाहिये। पुस्तिका के दूसरे भाग में गतिविधियों संबंधी जानकारी समाहित की गई है जिन्हें कि प्लानिंग प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किया जाना है। इस मैन्युअल के तहत प्लानिंग प्रक्रिया के मुख्य चरणों के साथ ही उद्देश्य एवं मुख्य प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें बीपीटी सदस्य चर्चा कर सकें। तीसरे भाग के तहत नमूना प्रपत्रों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें प्लानिंग प्रक्रिया के परिणाम के तौर पर भरने के लिए प्रयोग किया जायेगा। चौथे एवं अंतिम भाग में विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त सूचना जिन्हें महात्मागांधी नरेगा के तहत सम्मिलित किया जा सकता है और सम्मिलित किये जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है ताकि बीपीटी सदस्यों की समझ बन सके और उन्हें बेसिक जानकारी उपलब्ध हो सके।

ध्यान दिये जाने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुः

- यदि किसी भी प्रकार की छोटी–मोटी समस्या या मतभेद है तो ग्राम रोजगार सेवक एवं वार्ड सदस्य उसपर ध्यान दें तथा बी पी टी सदस्यों को इन सबसे अलग रखें ताकि वे प्लानिंग प्रक्रिया को ठीक से पूर्ण कर पायें।